(15)

न्यायालय अतिरिक्त जिला / सत्र जज / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, नगर बाबूहारी जिला/

पत्र संख्या- ०७ वाद- 143 वेतनभुगतान/अन्य

विषय- सीमा मजिस्ट्रेट बनाम

प्रति - सह पक्ष
थाना व तहसील मुजफ्फरपुर
बाबूहारी जिला।

नकल पत्रांक दि० - 05/03/2010

प्रार्थी द्वारा दायी विषयक सीमा मजिस्ट्रेट केन्द्र 117/के/30 संशोधन नगर बाबूहारी जिला-मुजफ्फरपुर विरुद्ध अनिल सिंह पार्टी की विपक्ष सिंह सीमा मजिस्ट्रेट 117/के/30 संशोधन नगर बाबूहारी नगर के द्वारा ग्राम बसावन भिटा आराजी खाता सं० 255 की रकबा सं० 743मि०/1.7730, 746मि०/0.1520, 744/0.0720, 636/0.0202, 753/0.0410, 754/0.0310, 786/0.0200, 632मि०/0.0030 कुल 6 किता रकबा 2.1170 हे० पु-एवं 45.80 रूद व खाता सं० 356 की रकबा सं० 743 मि०/1.7730, 746मि०/0.1520, 742/0.1850, 632मि०/0.0030 कुल 4 किता रकबा 2.1170 हे० पु-एवं 45.80 रूद कुल रकबा 4.234 हे० के पूर्व भाग की संबंधित भूमिधर से अधिग्रहण/विक्रय संबंधित लिखित किये जाने हेतु वर्णित किया। जिसमें उल्लेख किया कि आराजी भूमि पर कृषि कार्य/ बागवानी/ वृक्ष रोपण/ कुकुट पालन का कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि पर बीचे पर अधिग्रहित है ऐसी स्थिति में यह लोग उक्त आराजी को कृषि कार्य के लिए कार्य में उपयोग होने के कारण अधिग्रहण लंबित किये जाने व आदेश का अवमान अभिलेखों में लाये जाने का अनुरोध किया।

जिलाधिकारी स्थानीय जांच सहायिका मुजफ्फरपुर से कराई गयी। जांच आख्या दिनांक 22.02.2010 को प्राप्त हुई। जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम सं० 255 की रकबा सं० 743मि०/1.7730, 746मि०/0.1520, 744/0.0720, 636/0.0202, 753/0.0410, 754/0.0310, 786/0.0200, 632मि०/0.0030 कुल 6 किता रकबा 2.1170 हे० पु-एवं 45.80 रूद व खाता सं० 356 की रकबा सं० 743 मि०/1.7730, 746मि०/0.1520, 742/0.1850, 632मि०/0.0030 कुल 4 किता रकबा 2.1170 हे० पु-एवं 45.80 रूद कुल रकबा 4.234 हे० जिला ग्राम बसावन भिटा मुजफ्फरपुर के नाम अंकित है। जिस पर विपक्षगण सीमा मजिस्ट्रेट केन्द्र निर्माण किया जा रहा है निर्माण कार्य एवं एवं है। यही द्वारा सम्पूर्ण लेखपत्र के अधिग्रहण/विक्रय मानचित्र के भाग में प्रदर्शित की जा रही है। अतः उपरोक्त जांच आख्या दिनांक 22.02.2010 वाद 143 के साथ अधिग्रहण लंबित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दोनों पक्षकारों का अवलोकन किया, स्थानीय मुजफ्फरपुर की जांच आख्या 22.02.2010 तथा दोनों पक्षों द्वारा एवं उपस्थित अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य/ बागवानी/ वृक्ष रोपण/ कुकुट पालन का कार्य नहीं हो रहा है।

CamScanner

अधिक प्रयोजन से उपयोग लाई जा रही है। मौके पर किसान कोटेन राजमेल हेतु निर्माण जारी है। सहायक राजस्व के आख्या दिनांक 22.02.2010 संलग्न किये जाने योग्य है। जिसे, जिसे नियमित धारा के धारा 145 के अन्तर्गत भूमि औद्योगिक प्रयोजन से उपयोग होने के कारण निस्तारण आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रा0 सहायक राजस्व की मौके आख्या दिनांक 22.02.2010 संलग्न की जाती है। अब आगामी नियत खाता सं0 255 की कायम सं0 740हे0/1.7730, 740हे0/0.1520, 744/0.0720, 836/0.0288, 753/0.0418, 754/0.0318, 786/0.0330, 832हे0/0.0820 कुल 8 किता रकबा 2.1170 हे0 यू-ता0 45.80 रूपा व खाता सं0 386 की कायम सं0 741 हे0/1.7738, 740हे0/0.1520, 742/0.1800, 832हे0/0.0030 कुल 4 किता रकबा 2.1170 हे0 यू-ता0 45.80 रूपा कुल रकबा 4.234 हे0 किसान कोटेन राजमेल लिमिटेड 117/के/30 कोटेन नगर बालाजी नगर द्वारा कृषि अयोग्य घोषित करने की पेशकश किए पेशकश नियमावली 117/के/30 कोटेन नगर बालाजी नगर कृषि कार्य के लिए प्रयोग/निवास संस्थान के उपयोग में लाये जाने के आशय अधिसूचित घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति उप-निबंधक राजस्व को संलग्न हेतु प्रेषित की जाती। पत्रावली अभिलेखागार जारी किया जाय। वर अभिलेख कार्यवाही पत्रावली पारित करता हूँ।

दिनांक -

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/उप-निबंधक
राजस्व, बुलन्दशहर।
5/3/10

13-02